

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट- 111)/2020/

दिनांक :

**आदेश**

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रदेश में संचालित राजकीय जनरल नर्सिंग स्कूल एवं उनकी सीटों की संख्या निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र.स. | संस्थान का नाम                          | जिला        | प्रवेश क्षमता |
|--------|---|-------------|---------------|
| 1.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, अजमेर   | अजमेर       | 60            |
| 2.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, बीकानेर | बीकानेर     | 60            |
| 3.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, जयपुर   | जयपुर       | 100           |
| 4.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, जोधपुर  | जोधपुर      | 60            |
| 5.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, कोटा    | कोटा        | 60            |
| 6.     | अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय समूह, उदयपुर  | उदयपुर      | 60            |
| 7.     | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर           | अलवर        | 60            |
| 8.     | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर         | भरतपुर      | 60            |
| 9.     | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाडा        | भीलवाडा     | 60            |
| 10.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली           | पाली        | 60            |
| 11.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर          | जालौर       | 60            |
| 12.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर    | श्रीगंगानगर | 60            |
| 13.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर           | सीकर        | 60            |
| 14.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाडमेर         | बाडमेर      | 60            |
| 15.    | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा       | बांसवाडा    | 60            |

कम संख्या 15 पर अंकित (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा) राजकीय जीएनएम स्कूल की 100 प्रतिशत सीटें जनजातिय उपयोगना क्षेत्र के जनजातिय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

*Sd*  
**संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**  
**राज0, जयपुर**

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट- 111)/2020/683

दिनांक : 27/10/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय संघ/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज0।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची उपलब्ध कराने का श्रम करे अन्यथा राजकीय नर्सिंग स्कूल्स की ही काउंसलिंग कर दी जावेगी। निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची उपलब्ध ना होने के अभाव में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

*Sd*  
**संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**  
**राज0, जयपुर**